फर्द अहकाम

सरकार बनाम [illegible] वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

संख्या 15/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
31/1/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पेश हुई। 11/2/25	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उप०। अप्रार्थीगण अनु० अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उप० नहीं। अतः अप्रार्थी क्र० 1 लगायत 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सर इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति नक्ल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
15/2021	29/01/2021	11.02.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

इस्लाम खां पुत्र पुफीर खां जाति मुसलमान नि0 आंधी, तह0 जमवारामगढ, जयपुर।
अब्दुल रज्जाक पुत्र पुकीर खां जाति मुसलमान नि0 आंधी, तह0 जमवारामगढ, जयपुर।
सुगरी पत्नी पुकीर खां जाति मुसलमान नि0 आंधी, तह0 जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित –

पैरोकार सरकार :– उपस्थित।

दावा बाबत बेदखली एवं सिवायचक करने
अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णयः–

प्रार्थी (तहसीलदार जमवारामगढ) ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 935 रकबा 1.32है0 किस्म बारानी 2 हाल खसरा नम्बर 1123 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि राजस्व रिकार्ड मुताबिक कृषि भूमि है तथा प्रार्थी भूमिधारी है। पटवारी हल्का थोलाई के जॉच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 1.32है0 किस्म बारानी 2 हाल खसरा नम्बर 1123 पर गैर कृषि कार्य प्लाटिंग कर बिना संपरिवर्तन के कृषि भूमि का उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार कार्यालय द्वारा प्रकरण सं0 04/2012 (पत्रावली संख्या 11/2017) उनवार सरकार बनाम इस्लाम खां वगै0 में नोटिस जारी किया जाकर बिना अनुमति प्लाटिंग करने के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं या प्रतिनिधि तथा किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही हो कर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि मे कराये जा रहे अकृषि प्रयोजनार्थ प्लाटिंग प्रार्थी के भू स्वामित्व के विरूद्व होकर हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण बेदखली की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर कृषि भूमि पर की जा रही कार्यवाही उस भूमि क्षेत्र से बेदखल करने के अधीन आता है। अप्रार्थीगण द्वारा धारित खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर भूमि को सिवाय चक किया जाना न्यायोचित है। कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी की भूमि पर भूमि धारण करने वाले खातेदारों द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया है, जिसके लिए खातेदारान को मौके से बेदखल किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः राजस्व ग्राम आंधी खसरा नम्बर 935 रकबा 1.32है0 किस्म बारानी 2 हाल खसरा नम्बर 1123 गैर कृषि कार्य प्लाटिंग करने पर सम्पूर्ण भूमि एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद के आदेश पारित करने की आज्ञा प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी रजिस्टरर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही। अप्रार्थीगणों/प्रतिवादीगणो को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 1.32है0 किस्म बारानी 2 हाल खसरा नम्बर 1123 में खातेदार (अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण) द्वारा बिना संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किये कृषि भूमि को अकृषि कार्य (आवासीय प्लाटिंग कर) उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरित है तथा प्रदत्त शर्तो को भंग किया गया है। बिना संपतिवर्तन आदेश प्राप्त किये कृषि भूमि का अकृषि कार्य यथा आवासी प्लाटिंग कर उपयोग उपभोग करने से राजस्व की भी हानि हुई तथा नियम विरूद्व भी है। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी) द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 935 रकबा 1.32है0 किस्म बारानी 2 हाल खसरा नम्बर 1123 भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शर्तो को भंग करने पर राजकीय भूमि (सिवायचक) घोषित की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। साथ ही तहसीलदार आंधी को यह आदेश भी दिया जाता है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 1.32है0 किस्म बारानी 2 हाल खसरा नम्बर 1123 से बेदखल किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ